West Bengal Form No. 27 FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr. P.C.)

152

1. Dist. S.P.C. P.S. Pradhannagar Year 2023 FIR No. 484/23 Date 06/07/23.

2. i) Act XLV of 1860 Sections 498A, 325, 34 ii) Act IPC Sections

iii) Act Sections iv) Others Acts & Sections

3. (a) Occurrence of offence : Day Date From Since after marriage and on 04/07/23. Date To

Time Period Time From Time To

(b) Information received at P.S. Date 06/07/2023 Time 02:45 hrs.

(c) General Diary Reference : Entry No (s). 297 Time 02:45 hrs.

4. Type of Information Written Written / Oral

5. Place of Occurrance : (a) Direction and Distance from P.S. South, 2km. Beat No.

(b) Address House No-30, Road No-02, B.B. Sahani Bylane, Gurung Busty and Bhagat lodge under P.S. Pradhannagar Dist- Darjeeling.

(c) In case outside limit of this Police Station. then the

Name of the P.S. — District —

6. Complainant / Informant :

(a) Name Roshan Kumar Jha

(b) Father's / Husband's Name Ajay Kumar Jha

(c) Date / Year of Birth — (d) Nationality Indian

(e) Passport No. — Date of Issue : — Place of Issue —

(f) Occupation —

(g) Address House No-30, Road No-02, B.B. Sahani By-lane, Gurung Busty. PS Pradhannagar Dist- Darjeeling.

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars

(Attach separate sheet, if necessary) :

Ajay Kumar Jha, Smt Prava Kumari, Pravat Kumar Jha, Rahul Kumar Jha, Roshan Pathak @ Golu, Bikki Sahani, Suraj Khati & others.

8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information

—

9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary) :

—

10. Total value of properties stolen / involved —

11. Inquest Report / U.D. Case No. If any —

12. FIR Contents (Attach separate sheets, if required) : The original written complain of the complainant which is treated as FIR is enclosed herewith.

13. Action Taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No. 2., Registered the case and took ~~up the investigation~~ / directed ASI Madan Rishi to take up investigation / ~~refused investigation~~ / ~~transferred to~~ P.S. — ~~on point of jurisdiction~~. FIR read over to the Complaint / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complainant / informant free of cost.

(Signature) 06/07/23.

Signature of the Officer-in-Charge, Police Station

Name : Arindam Bhattacharjee

Pradhannagar Police Station, Siliguri Police Commissionerate

Rank : No. Insp of Police.

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant

Noted in written complain

15. Date & Time of despatch to the court :

on 07/07/23.

Received on 06/07/23 vide PDM PS GDE No 297 Dt-06/07/23 at 02:45 hrs and started PDM PS Case No- 484/23 Dt-06/07/23 U/S 498A/325/34 IPC and endorsed to ASI Madan Rishi for its investigation.

Inspector-in-Charge
Pradhan Nagar Police Station
Siliguri Police Commissionerate

दिनांक- 6/7/2023

सेवा में

इंसपेक्टर इंचार्ज महोदय,

प्रधाननगर पुलिस स्टेशन,

प्रधाननगर

विषय: F.I.R.

महाशय,

सविनय निवेदन यह है कि मैं रोशन कुमार झा, पिता श्री अजय कुमार झा, उम्र- लगभग 29 वर्ष पेशा- वकिल, निवासी- हाउस नं- 30, रोड नं-2, बी० बी० सरकी बाड़ी लेन गुरुंगबस्ती, पो० + पुलिस स्टेशन प्रधाननगर, सिलिगुड़ी, दार्जिलिंग का निवासी हुँ, इस FIR के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हुँ कि मेरी शादी वर्ष 2018 में निधी कुमारी, पिता- विनय कुमार झा, पता- ग्राम- बलनी, पो०+पु० -बहेड़ा, दरभंगा के निवासी से तय हुआ। महाशय 25 November 2018 को हमारा इंगेजमेंट दरभंगा में हुआ। शादी वर्ष 2019 को मार्च महीने के तारिक 7 को हुआ। विवाह के बाद से ही मेरे पिता जी (अजय कुमार झा), माँ (श्रीमती पुष्पा कुमारी), मेरे दो छोटे भाई (प्रभात कुमार झा और राहुल कुमार झा) विभिन्न भाँति से मेरी पत्नी पर दहेज और अपने घर में सजाने के लिए काठ वाला फर्नीचर लाने के लिए विभिन्न भाँति से मानसीक दबाव देने लगे, इतना ही नहीं मेरा छोटा भाई मेरी अनुपस्थिति साल 2019 से 2023 के (के बीच कई बार मारपीट) जुलाई तारिक 3 (जुलाई), कई बार हाथ उठाया एंव, पेज

एवं विभिन्न भाँति से प्रताड़ित करता था
मेरे माँ पापा को उपस्थिति में, 3 तारिक को
जिस दिन यह घटना विकराल रूप लिया
मेरे घर वाले जब मैं नीचे (ग्राउंड फ्लोर) मेरे
चेंबर में काम कर रहा था तकरीबन रात
को 9 बजे जब मेरे चेंबर में मेरा एक क्लाइंट
था तब दौड़ते आयी और बताया कि मेरे
सभी घरवाले (माँ, पापा, दो छोटे भाई) मेरी बीबी
को इतना मानसिक प्रताड़ित किये कि वो दौड़ते
चेंबर आयी और रोकर सारा बात बताया, मैं
जैसे तैसे अपने क्लाइंट को छोड़ा और जब
ऊपर गया दुसरे महतल्ले पर जहाँ सब लोग थे
जब मैंने उनसे कहा कि आप लोग हमेशा
पैसे और समान के लालच में मेरी बीबी को
प्रताड़ित करते हैं, तब मेरे पिताजी ने मेरे
भाइयों को उकसाया इन भाइयों के लिए मैं
अपने पिताजी और भाइयों को चंगुल से छीन
लेके अपने बच्चे (तीन साल दो माह लगभग) सौरभ
कुमार का और मेरी बीबी को नीचे (प्रथम
तल्ला पर भेजा तब ये लोग और जोर जोर
से चिल्लाने लगे जब मेरी बीबी अपना मोबाइल
और अपने बच्चे के भोक के लिए ऊपर गयी
तो इन लोगों ने ऊपर धावा कर दिया और
ऊपर से इन लोगों को धक्का दिया, इनके चंगुल से
जब अपनी बीबी को बचाने के लिए पीछे किया
तो मेरे छोटे भाई ने किया के गाल पे लात
घूँसा चलाना शुरु कर दिया मैं देते देते
अपनी बीबी को अपने कमरे लेगया लेकिन

ये लोग वहाँ भी नही रुके और मेरे कमरे मे आकर मेरे पिताजी ने मेरे बीवी को जोर से धक्का दिया और मेरा छोटा भाई राहुल मुक्का हाथ से मेरे बीवी को पीटने लगे मैने जैसे तैसे बचा कर अपना कमरा बन्द किया और इसकि सुचना मेरी बीवी ने अपने मायके (दरभंगा) मे दिया जहाँ से उन्होने पुलिस को फोन किया और लगभग 12:20 बजे रात को प्रधाननगर थाना से पुलिस अफसर आये जिनका फोन no (9614375240) आये मेरे घर मेरा भाई प्रभात मेरे पास हाथ जोड़ने लगा कि अब भाभी के साथ ऐसा नही करेंगे, पुलिस से एक बार बचाओ, मैने पुलिस बात बताये और कहा कि ये लोग अभी क्षमा माँग रहे है, इसलिए सुबह तक मेरे को समय दे मैं अपनी बीवी के परिवारवालों को आने पर उनको (मेरी बीवी और बच्चे) सुरक्षित घर (मायके) पहुँच जाये इसलिए सुबह तक का समय माँगा नही तो ये रात मे कुछ भी कर सकते थे, पुलिस अफसर जब चले गये तब मेरा मझला भाई प्रभात आ आकर हम पर विभिन्न तरीके का दबाव बनाने लगा और धमकाया की यदी मैं कल सुबह पुलिस को लिखित रूप में बताता हुँ तो वो मेरे चेंबर मे पड़े मेरे सभी दस्तावेजो को शार्टसर्किट के नाम पर जला देगा, मेरा गहना भी (शादी मे जो उपहार स्वरूप व प्रेम से चढ़ाया गया) वो भी उनके दखल मे था। अगली दिन 4 तारिक को दोपहर साढ़े ग्यारह या बारह बजे नीचे

 Contd...

को मायके वाले (माँ, पापा, भाई, नाना, और मौसा)
आये हमलोगों के लिए नाश्ता खाना लाया,
जब मैं अपनी माँ और मझले भाई को कहा
कि निधी के घरवाले आये हैं पापा को बुला
कर बात करने के लिए (जो नापा गंज के बजार के
पुल में थे) तो उन्होंने बुलाया तीन बजे दोपहर
को जब लगभग जब मैं दोनों पक्ष यानी
अपने ससुरवाले और घरवाले को साथ बिठाया
और अपने पिताजी से कहा कि पापा कल
रात को जो घटना घटा है उसके बाद मैं अपनी
बीबी और बच्चे को सुरक्षा से समझौता नहीं कर
सकता इस लिए मैं इन्होंने को मायके भेज
रहा हुँ जिसकी जानकारी आपको दे रहा हुँ
और उसने निवेदन किया कि हमारे शादी में
उपहार स्वरूप जो गहने पड़े थे वो भी आप
निधी को दे दे क्योंकि मैं और मेरा परिवार
जान और माल से सुरक्षित महसूस नहीं कर
रहा हुँ इतने में मेरे पिता ने अमार्यादित
शब्द का इस्तेमाल करते हुए मेरे बीबी
को बटना से मारा, मेरा भाई मेरे वाइफ के
गाल पर मुक्के से प्रहार किया है लेकिन
जैसे तैसे बीच बचाव कर मैंने अपनी
बीबी को अपने मझले भाई और पापा के
चंगुल से बचाया और उसको उपहार स्वरूप
मिले गहने को उसके हाथों में दिया कुछ
देर पश्चात ही मेरा छोटा भाई राहुल कुमार स्ना
कर आया और गाली गलौज करने लगे

जब मैंने ऊपर जाकर विरोध किया और अपना चेक बुक माँगा तो उन्होंने उसे भी अपने पास रख लिया इसी में मेरे पापा और मेरे भाई मुझे पीटने लगे मैं भी अपने को बचाने के लिए हाथ-पैर चलाने लगा जैसे तैसे मैंने अपने दोस्त अंकित को फोन कर बुलाया और चेक दिलवाने को कहा उन लोगों ने उसे भी गाली गलौज करने लगे और मुझे बुलाया जब मैं ऊपर आया तो वे मुझ पर जान लेने कि कोशिश से हमला किया और दोस्तों और पड़ोसियों के बीच बचाव से हम जैसे तैसे जान बचाकर निकले, जब मैं मालीगढ़ पहुँचा तो समुचित चीजों की जानकारी कोर्ट में मेरे सीनियर श्री आलोकेश चक्रवर्ती और कोर्ट के सेक्रेटरी श्री आलोक घरा को दिया, उनके कथना अनुसार मैंने पुनः उस ऑफिसर को फोन कर और थाना पहुँच कर जानकारी दी (जिसे उस रात को हमारे घर आकर जायजा लिया)। तत्पश्चात आलोकेश सर के निर्देश अनुसार अपने दोस्त के साथ उनके चेंबर पहुँचा जहाँ मेरे पिता मेरे दोनों छोटे भाई के भी साथ मौजूद थे बातचीत के दौरान सर को हमने बताया की आज रात देरी होने के कारण हमने होटल लिया प्रधाननगर में, आलोकेश सर को जब मैंने सब बताया तभी इन सभी ने हमें देख लेने की धमकी दी और

पेज - 5 Contd

उस समय सर ने कहा तुम निश्चिंत से रहो कुछ नहीं होगा, 5 जुलाई को हमलोग सभी होटल भगत (भगत लाज) मे रुके थे, आज सुबह से तकरीबन 10:30 बजे जब दोस्तो के साथ होटल से बाहर निकला तब कुछ अन्जान लोग जिनको मैं नही पहचानता वो घुरने लगे तभी मेरे एक और पड़ोसी आये जिन्होने हाल चाल जाना और मिश्री से मिलने की इच्छा जताई हम सब होटल आये बच्चे के तबीयत मे खराबी होने के कारण हम सब रात मे रुकने का विचार किये इस घटना कि जानकारी (दो तीन दिन पहले लगभग) मेरे एक साले, जो आज शाम हो 6 बजे सिलिगुड़ी आये, मैं जब शाम को तकरीबन 8 बजे दोस्त के साथ बच्चे का दवाई लेकर बजार से लौटा तब भी कुछ लोग SNT के पास कुछ गुंडों को बैठा रखा था जिनका परिचय मेरे पिता से है जिनका नाम मैं नही जानता वो घुर रहे थे हम और दोस्त बच्चे को लेकर होटल आये, लेकिन घबराने के कारण किसी को कुछ नही बताया, जब मैं अपने साले और मामा को ORS Liquid के लिए भेजा तब ये लोग उनका पीछा करने लगे। ये लोग जैसे तैसे मेरे साले और मामा होटल आये तभी मेरा छोटा भाई (राहुल कुमार झा), उसका दोस्त (रोशन पाठक (गोलु) कुली पाड़ा/कन्हैया पाठक का भतीजा, पिताजी साहनी मेरे पिताजी के पास दुकान का स्टाफ, सुरज रवानी)

पेज-6 Contd.

और चार पाँच लोग जिनको मैं नहीं जानता होटल मे आये और होटल स्टाफ ने हमसे मिलने को इच्छा बताई, जब मैं गया और और आवाज दिया तभी मेरे छोटे भाई ने अपने होटल के साथ (जिन लोगो का नाम लिखा है) बेल्ट, रिवाल्वर, लोहा, रोड से हम सब पर हमला कर दिया जिसका रिकार्ड होटल के सीसीटीवी मे दर्ज है। जब हमलोग लोकल लोगो के मदद से पकड़ने कि कोशिश किया तो सब भाग गये, सिर्फ सूरज रावत पकड़ाया इस घटना मे मेरी बीवी और साढ़ के शरीर मे भी इनके हाथ भुजा से चोट लगा मेरे छोटे साले रोहन झा को आँख के पास गंभीर चोट आया जिसको हमने सिविल हॉस्पीटल ले जाकर इलाज करवाया जिसका कॉपी इस FIR के साथ अटैच है, इस घटना मे मेरा अंगुठी इन लोगों ने छीन लिया, भाहशाप ये लोग जो समान मेरे छोटे भाँजा बसन्त झा की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला हुआ था (सोनी टीवी 32 inch, वाशींग मशीन बालपुल, फ्रीज डबलडोर बाल पुल, लोहा का आलमारी (जो मैंने खरीदा) मेरे फोल्डर मे रखा पैसा कैश और जो भी इलेक्ट्रोनिक समान मैंने खरीदा (पापा के नाम से/उनके अकाउंट) सब गलत को कब्जा मे है, भाहशाप ये लोग इस दो-तीन दिन (लगातार) से हम पर/ मेरे बच्चे/बीवी पर जान से मारने के आशय से हमला कर रहे हैं पेज-7 contd

अतः आपसे निवेदन है कि संपूर्ण मामले कि जाँच करें, इन सभी पर कानूनी कार्यवाही करें, और मेरे और मेरे परिवार (रोशन कुमार झा, निधी कुमारी, रौनक कुमार झा/बच्चा) तथा मेरे अधिकारों कि रक्षा करें।

धन्यवाद

आपका आभारी
नाम-रोशन कुमार झा
फोन- 8250810457